

महतारी वंदन योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग



महतारी वंदन योजना

प्रस्तावना –

- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में “महतारी वंदन योजना” लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- यह योजना **01 मार्च 2024** से लागू की जाएगी।
- योजना का क्रियान्वयन **संपूर्ण छत्तीसगढ़** राज्य में होगा।

योजनांतर्गत पात्रता

- विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

योजनांतर्गत अपात्रता

- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य **आयकरदाता** हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में **स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों** पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य **वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक** हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के **वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष** हो।

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

- पात्र महिला को **रूपये 1000 /- प्रतिमाह** का भुगतान डीबीटी के माध्यम से।
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को **रु. 1000 /- से कम** पेंशन राशि प्राप्त होने से **शेष अंतर की राशि** का भुगतान।

आवेदन करने का माध्यम

योजना के ऑनलाईन पोर्टल (<https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in>)

तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे –

- आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
- ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
- बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से।
- आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से।

आवेदन करने की प्रक्रिया

- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया **निःशुल्क** होगी ।
- आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे ।
- प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी ।
- प्रत्येक आवेदन की **प्री प्रिंटेड** पावती दी जायेगी, यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे **एसएमएस** द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी ।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

- स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो ।
- स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़ । (निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र) ।
- स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड ।
- स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड । (यदि हो तो)
- विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानान्तरण प्रमाण पत्र / पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक)
- पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- स्व-घोषणा पत्र / शपथ-पत्र।

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की कार्यवाही

- अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना ।
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना ।
- आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना ।
 - ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी ।
 - नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी ।
 - नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम, अथवा उनके प्रतिनिधि / परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी ।

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की कार्यवाही

- आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अंतिम सूची जारी किया जाना
 - अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
- पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाना। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी।
- हितग्राही को राशि का भुगतान— पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंकड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।

नियमित परीक्षण एवं सत्यापन

- आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना।
- जांच में **अपात्र** होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से **विलोपन** की कार्यवाही किया जाना।
- भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही किया जाना।
- **मृतक** हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात् अंतिम सूची से **विलोपित** किया जाना।
- उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन की कार्यवाही **ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी** द्वारा किया जा सकेगा।

निगरानी एवं समीक्षा

- राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (SPMU) स्थापित किया जायेगा।
- जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी— जिला स्तर पर **कलेक्टर** की **अध्यक्षता** में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन

- राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा ।
- जिलों में जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी होंगे ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय, सहायक नोडल अधिकारी होंगे ।
- योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जायेगा ।

नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन

- हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु
 - ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा
 - नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे।

महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा

क्रं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1	योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना।	02.02.2024
2	महतारी वन्दन योजना के लिए पोर्टल/सॉफ्टवेयर तैयार करना	04.02.2024
3	ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदनो का पंजीयन प्रारंभ।	05.02.2024
4	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	20.02.2024
5	अनन्तिम सूची जारी करने की तिथि।	21.02.2024
5	अनन्तिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि।	21 से 25.02.2024
6	आपत्ति निराकरण हेतु अवधि।	26 से 29.02.2024
7	अंतिम सूची का प्रकाशन	01.03.2024
8	स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि	05.03.2024
9	राशि अंतरण का दिनांक	08.03.2024

धन्यवाद